

प्रारूप - छह
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 21 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय, दान या अन्यथा अर्जित करने या अन्तरित करने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई डी
2. सोसायटी का पंजीयन क्रमांक तथा तारीख
3. अर्जित /क्रय /उपहार / अंतरित /बेची जाने वाली या अन्यथा
स्थावर संपत्ति का पूर्ण विशिष्टियां
4. सोसायटी के प्रयोजन से भिन्न संपत्ति के क्रय/ विक्रय या
अन्यथा या अंतरण के कारण अथवा उद्देश्य
5. सोसायटी के कार्यकारी निकाय के सम्मिलन की तारीख जिसमें
कि विक्रय/ क्रय या अंतरित किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित
किया गया है।
6. स्थावर सम्पत्ति के क्रय/विक्रय या अन्तरण आदि की अनुज्ञा के लिए रु की फीस ऑनलाईन चालान
द्वारा दिनांक को जमा कर दी गई है, चालान आईडेंटिफिकेशन नंबर (CIN)
..... है।
7. स्थावर सम्पत्ति के क्रय/ विक्रय/ उपहार या अंतरण के लिए किये गए अनुबंध की एक सत्यापित प्रति संलग्न करें। यदि
पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सम्पत्ति का रजिस्ट्रीकरण पहले ही करा लिया गया है तो रजिस्ट्री की सत्यापित प्रति संलग्न
करें।

हम सोसायटी के प्राधिकृत अधिकारी एतद्वारा घोषणा करते हैं कि:-

- (1) हम अधोहस्ताक्षरकर्ता, कार्यकारी निकाय के पदाधिकारी हैं, उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित है
तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।
- (2) यह समुचित रूप से सत्यापन कर लिया गया है कि उक्त संपत्ति का विक्रेता अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है।
- (3) उक्त संपत्ति का क्रय/ विक्रय प्रतिषिद्ध नहीं है, यदि क्रय/ विक्रय के लिए किसी प्राधिकरण की अनुज्ञा आवश्यक है तो
यह हमारे द्वारा प्राप्त की जाएगी।
- (4) सोसायटी द्वारा संपत्ति कलक्टर के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार क्रय/ विक्रय की जाएगी। यदि कोई असत्य जानकारी
दी जाती है तो हम मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 38 की
उप-धारा (2) के अधीन दण्ड के लिए दायी होंगे।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर
नाम-	नाम-
पदनाम अध्यक्ष	पदनाम सचिव
मोबा. नम्बर	मोबा. नम्बर
ई-मेल आई.डी.	ई-मेल आई.डी.